न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 58 / 2018 / अपील

1 पोखर
2 भागीरथ
3 हीराराम
4 मक्खन
} पुत्रगण भूराराम

5 श्रवण
6 मोहन
} पुत्रगण भींवा

समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी सामोता वाली ग्राम बस्सी तहसील खण्डेला जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 गुल्लाराम पुत्र रूडाराम उर्फ भैरूराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी बीजाकावाली ग्राम बस्सी तहसील खण्डेला जिला सीकर जरिए पुत्र रिछपाल पुत्र गुल्लाराम जाति जाट निवासी ग्राम बस्सी तहसील खण्डेला जिला सीकर
2 तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार धोद मुकदमा नम्बर 08 / 2016 बउनवानी बृजमोहन आदि बनाम कमला देवी आदि दिनांकित 13 / 11 / 2017

वकील अपीलांट श्री रामेश्वरलाल बिजारणिंया
वकील रेस्पोडेंट श्री विनोद कुमार सरोज

निर्णय दिनांकः— **24.07.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला के समक्ष दिनांक 04.05.2018 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मुझ प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 88 में जाने के लिए मुख्य रास्ता खसरा नम्बर 107 से खसरा नम्बर 104 / 2, 105 / 2, 96 / 2, 97 / 2, 93 / 2, 91 / 2 में रास्ता कटा हुआ है व खसरा नम्बर 92 में कटा हुआ नहीं। अतः खसरा नम्बर 92 में रास्ता काटकर रास्ता चालू करवाने की कृपा करें।" उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा प्रकरण अं0 धारा 251 आरटीएक्ट में दर्ज किया जाकर हल्का पटवारी की रिपोर्ट ली गयी तथा दिनांक 09.05.2018 की आदेशिका के अनुसार पटवारी हल्का की रिपोर्ट स्पष्ट नही होने पर भू अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट चाही व बिना किसी रिपोर्ट के दिनांक 28.05.2018 को निर्णय पारित करते हुए अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर बिना किसी कटाणी रास्ते के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 88 तक पहूँच के लिए रास्ते का आदेश पारित कर दिया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गुल्लाराम के नाम से उनके समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर गुल्लाराम के हस्ताक्षर या अंगुठा निशानी नही है तथा प्रार्थना पत्र में नीचे

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

दिया गया था का प्रमाण नही है। प्रार्थना पत्र गुल्लाराम के द्वारा दिया जाता तो गुल्लाराम के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी होती और यदि गुल्लाराम के पुत्र के द्वारा दिया जाता तो उसके पास गुल्लाराम का अधिकार या अधिकृत पत्र होता, ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आधार मानकर निर्णय पारित कर दिया। कानून की स्थिति स्पष्ट है कि धारा 251 आरटीएक्ट में कोई भी प्रार्थना पत्र यदि तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होता है तो वह उस प्रार्थना पत्र को दर्ज कर संबंधित ग्राम पंचायत को भेजेगा तथा 45 दिन में ग्राम पंचायत द्वारा उस प्रार्थना पत्र पर निर्णय नही लिए जाने पर उसे मंगवाकर पक्षकारो को सुनकर समुचित निर्णय पारित करेगा। परन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के पास न भेजकर स्वयं के न्यायालय में ही दर्ज कर निश्चित समयावधि से पूर्व ही निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में सिविल न्यायाधीश श्रीमाधोपुर के निर्णय दिनांक 19.01.1993 को आधार माना, जबकि निर्णय दिनांक 19.01.1993 अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलांट संख्या 6 मोहन की नाबालिग अवस्था में किया गया है। जिसे समक्ष न्यायालय में चुनौती दे दी गयी है एवं इस निर्णय में भी खसरा नम्बर 92 में से न तो रास्ते की मांग की गयी, न ही खसरा नम्बर 92 में रास्ते के बाबत कोई वाद था। खसरा नम्बर 92 में कुआ (ट्यूबैवल) जहां कुए की गुण पानी की खेली, एक बडा होद ढाणा, रिहायशी छप्पर, गुमटी, ईटो का घर पशुओ का आवास बना हुआ है तथा लगभग 20–25 वर्ष पुराने 10–15 पेड़ नीम, रूंझ, आडू, शीशम व कीकर के पेड़ खडे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व भूमि खसरा नम्बर 96/2, 97/2, 91/2 व 92 के अन्य सहखातेदार मृतक लच्छू पुत्र गोरिया के वारिसान को पक्षकार भी नही बनाया गया, न ही उनके नाम नोटिस जारी किए गए। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 02/2018 अनुवानी गुल्लाराम बनाम पोखर वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो. ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम बस्सी के खसरा नम्बर 88 का रेस्पो. संख्या 1 गुल्लाराम खातेदार है एवं खसरा नम्बर 88 में जाने हेतु खसरा नम्बर 92 में से पूर्व में रास्ता रहा है, जिसको खसरा नम्बर 92 के खातेदारान द्वारा बन्द कर दिया गया। उक्त बन्द रास्ते को खुलवाने हेतु तहसीलदार खण्डेला द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। विद्वान अधिवक्तागण के पक्ष–विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायीक दृष्टांत पेश किये। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में RRD 1999 पेज नम्बर 247 से 250, RRD Dec., 2002 पेज नम्बर 747 से 748, RRD June, 2002 पेज नम्बर 314 से 315 पेश किये। हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियां प्रस्तुत न्यायीक दृष्टांत में विवेचित प्रकरण की परिस्थितियों से भिन्न है। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में यह आपत्ति भी जाहिर की है कि धारा 251 आरटीएक्ट में कोई भी प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होता है तो वह उस प्रार्थना पत्र को दर्ज कर सम्बंधित ग्राम पंचायत को भेजेगें तथा 45 दिन में ग्राम पंचायत द्वारा उस पर निर्णय नहीं लिए जाने पर स्वयं तहसीलदार निर्णय पारित करेगा, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के पास न भेजकर स्वयं के न्यायालय में ही निश्चित समयावधि में निर्णय पारित कर दिया। इस सम्बंध में GOVERNMENT OF RAJASTHAN REVENUE DEPARTMENT (Gr-6) का Notification क्रमांक. No.F.3(2)Rev-VI/2003/pt/18 Jaipur, Date 6-7-09 के द्वारा पूर्व में ग्राम

Web Copy - Not Official

पंचायत को दी हुई शक्तियों को प्रत्याहरित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला के समक्ष अपीलांट संख्या 1 लगायत 6 की और से जवाब दावा भी प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार खण्डेला के समक्ष उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत करने से यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा अपीलाधीन निर्णय भूमि खसरा नम्बर 92 के खातेदारान की सुनवाई उपरांत पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के मुताबिक पटवारी रिपोर्ट दिनांक 05.05.2018 में अंकित किया गया है कि "खसरा नम्बर 104/2, 105/2, 96/2, 97/2, 91/2, 93/2 में गै.मु. रास्ता दर्ज हुआ, जबकि खसरा नम्बर 88 में आने जाने के लिए प्रचलित रास्ता खसरा नम्बर 92 में से भी था। खसरा नम्बर 92 के खातेदारों में से भागीरथ, पोखर, मक्खन, हीरालाल पुत्रगण भूराराम व श्रवण, मोहन पुत्रगण भींवाराम जाति जाट निवासी बस्सी ने रास्ता अवरूद्व कर रखा है।" अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में अंकित किया गया है कि "प्रश्नगत रास्ता वादी के खेत तक पूर्णतया प्रचलित था एवं वर्तमान में अवरूद्ध है। प्रकरण सुखाधिकार का भी साबित होता है। बन्द/अवरूद्ध रास्ता खुलवाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू. अभि. निरीक्षक वृत रलावता व पटवारी हल्का जयरामपुरा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज व प्रचलित रास्ते को 07 फीट चौड़ा खुलवाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 88 तक पहुंच सुनिश्चित करें।" पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रकट है कि माननीय सिविल न्यायालय के पूर्व आदेशानुसार मौजूद रास्ता एवं प्रत्यर्थी के खेत खसरा नम्बर 88 के मध्य में खसरा नम्बर 92 अवस्थित है। अर्थात् खसरा नम्बर 88 तक उक्त रास्ते की पहुंच इसी खसरा नम्बर 92 के द्वारा ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 251 में सुखाचार के तहत मात्र रास्ता खुलवाने का ही निर्णय पारित किया है, न कि नवीन रास्ता दर्ज करने का। प्रकरण के अवलोकन उपरांत उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह साबित होता है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय बन्द रास्ते को खुलवाने हेतु पारित किया गया है, जिसका क्षेत्राधिकार योग्य अधीनस्थ न्यायालय को ही है। इस प्रकार न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official